दिनांक 01.06.2013 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में सचिव उद्योग की अध्यक्षता में कलस्टर विकास की योजना के संबंध में अनुश्रवण हेतु आयोजित बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति– सूची संलग्न।

सर्वप्रथम सचिव उद्योग द्वारा दिनांक 09.05.2013 को सम्पन्न कलस्टर विकास योजना की बैठक की कार्यवाही को सम्पुष्टि प्रदान की गई।

दिनांक 09.05.2013 को **MSE-CD** की एजेन्डावार योजनाओं पर उपस्थित सदस्यों के साथ सचिव उद्योग द्वारा समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त निम्नलिखित निर्णय/दिशा निर्देश दिये गये:–

1. प्रतिवेदन–सह–एजेन्डा की क्रमांक–1 में रिफ्रेक्ट्रीज कलस्टर चिरकुण्डा, धनबाद के विषय में श्री शरद पोद्दार **JSIA** के प्रतिनिधि द्वारा **Pollution Clearance** की समस्या को रखा गया। सचिव उद्योग ने उन्हें सुझाव दिया कि **Environment clearance for specific proposal** प्रदूषण नियंत्रण पर्षद को भेजें।
2. मीनी सीमेन्ट प्लान्ट कलस्टर– रामगढ़,– इस संबंधमें दिनांक 01.11.2012 को सम्पन्न बैठक में इस योजना के क्रियान्वयन में उद्यमियों की अभिरूचि **SPV** के गठन में नहीं रहने की सूचना देते हुए इस योजना को बन्द करने का सुझाव महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, हजारीबाग द्वारा दिया गया था। संदर्भ में निर्णय लिया गया कि चूँकि योजना की स्वीकृति भारत सरकार के स्तर से **letter no. 123/CDP/Mini Cement/2006, dated 16.09.2006** द्वारा प्राप्त है तथा कुल राशि रू0 5.63 लाख स्वीकृति के उपरान्त **QSR, DSR** तथा **Soft Intervention** तैयार करने में कुल राशि रू0 4.182 लाख के व्ययन की सूचना **DI-MSME** द्वारा उपलब्ध करायी गई है।

   विचार–विमर्श के उपरान्त इस दिशा में सचिव उद्योग द्वारा निदेश दिया गया कि **DI- MSME**, राँची एवं महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, हजारीबाग इस संबंध में विभिन्न स्तर पर की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन प्रस्तुत करें, जिससे कि इस प्रस्ताव को **drop** किया जा सके।
3. **Black smithy/Hand Forging Cluster, Bendra, Bokaro/Black Smithy Custer, Lari, Ramgarh/Silver Jwellary Cluster, Sukarigara, Ramgarh/ Food Processing Cluster, Ranchi** के संबंध में सचिव उद्योग द्वारा **DI- MSME, Ranchi** एवं श्री अवध किशोर, परियोजना प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र,रामगढ़ तथा **JSIA** के प्रतिनिधि श्री शरद पोद्दार को निदेशित किया गया कि **SPV** बनाकर **Society** का **Bank Account** खोलकर सहयोग राशि का **Collection** सुनिश्चित करें।

Anirudh

4. रामगढ़–रॉची रिफ्रेक्ट्री कलस्टर, रॉची तथा ब्लैक स्मिथी/हैण्ड फोर्जिंग कलस्टर, भेण्ड्रा बोकारो के **DSR** पर विभागीय स्तर पर **Validation** हेतु प्रतिवेदित सूचना पर **DI-MSME,** रॉची को उक्त दोनों कलस्टर योजनाओं का **QSR** एवं **DSR** प्रतिवेदन शीघ्र भेजने का निदेश **DI- MSME,** रॉची को सचिव उद्योग द्वारा दिया गया।

5. ब्रास एवं ब्राउंज यूटेनसिल कलस्टर विष्णुगढ़, हजारीबाग एवं जरियागढ़, खूँटी की योजना पर विभागीय स्तर पर **DI- MSME,** रॉची द्वारा प्रतिवेदित **Validation** के विषय वस्तु पर पूर्व की बैठक में लिए गये निर्णयानुसार उक्त दोनों योजनाओं पर मंतव्य हेतु संचिका निदेशक, हस्तशिल्प, रेशम एवं हस्तकरधा, निदेशालय, रॉची को निदेशानुसार उपलब्ध करा दी गई है।

   निदेशक, हस्तशिल्प, रेशम एवं हस्तकरधा, रॉची द्वारा इसका अध्ययन कर शीघ्र ही निर्णय ले लिए जाने की सूचना दी गई।

6. इन्जीनियरिंग कलस्टर, तुपुदाना, रॉची के संबंध में **DI- MSME,** रॉची द्वारा बताया गया कि इस योजना का **QSR** पर **Approval** प्राप्त है। **GOI** से योजना की स्वीकृति पर प्रतीक्षा की जा रही है। इस योजना के लिए 0.50 डिसमील भू–खण्ड की व्यवस्था हेतु सचिव, उद्योग द्वारा रियाडा, रॉची के प्रतिनिधि श्री रवि शंकर प्रसाद, उद्योग विस्तार पदाधिकारी को निदेशित किया गया।

7. फ्लाई एश कलस्टर, जमशेदपुर की योजना से संबंधित **QSR** तैयार कर **DC (MSME)** भारत सरकार के कार्यालय को भेजी जा चुकी है, जिस पर शीघ्र ही स्वीकृति प्राप्त होने संबंधी सूचना **DI- MSME,** रॉची द्वारा प्रतिवेदित की गई है। इस योजना के प्रतिनिधि को बैठक में भाग लेने हेतु फैक्स एवं ई–मेल द्वारा पत्र प्रेषित की गई थी परन्तु बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण इस योजना के विषय वस्तु पर चर्चा नहीं हो सकी। सचिव महोदय ने सुझाव दिया कि जो इसका कार्यान्वयन करेंगे, इस बैठक में उनकी उपस्थिति आवश्यक होगी।

8. उडेन फर्नीचर कलस्टर, रॉची– इस योजना के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि **DI-MSME, Ranchi** के निदेशानुसार विहित प्रपत्र में **QSR** प्रतिवेदन तैयार किया जा चुका है, जिसे शीघ्र ही अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु **DI- MSME,** रॉची के कार्यालय को उपलब्ध करा दिये जाने का आश्वासन दिया। सचिव उद्योग द्वारा **DI- MSME,** रॉची एवं **JSIA** के उपस्थित प्रतिनिधि को निदेशित किया गया कि इस प्रकार के उद्यमिता विकास संस्थानों जो राज्य में विभिन्न प्रकार के कलस्टर्रा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाना चाहतें हों उन्हें चिन्हित किया जाय ताकि उन्हें मेंन रोड़, रॉची स्थित रियाड़ा भवन में एक स्थान पर एकत्रित करते हुए **MSE-CD** की योजनाओं को तीव्रता से आगे बढाया जा सके।

9. देवघर पेड़ा कलस्टर/साड़ी कलेण्डरिंग कलस्टर, चिरकुण्डा, धनबाद/स्टील यूटेन्सिल कलस्टर, देवघर तथा धनबाद फ्लोर मील कलस्टर, धनबाद से संबंधित **QSR** की तैयारी किये जाने की सूचना **DI- MSME,** रॉची द्वारा **Agenda** में प्रतिवेदित किया गया है। सचिव

उद्योग द्वारा इन सभी योजनाओं का **Society** बनाकर **Bank Account** खोले जाने का निदेश दिया गया ताकि **SPV** के गठन के उपरान्त **Contribution** में कठिनाई न हो।

10. <u>ऑटो कलस्टर आदित्यपुर</u>– इस योजना के उपस्थित प्रतिनिधि श्री प्रमोद कुमार सिंह द्वारा अध्यक्ष महोदय को बताया कि **CETP** की प्रगति में मुख्य बाधा यह है कि **Approach Road** के अभाव में अवंटित भूमि पर कार्य आरम्भ करने में कठिनाई हो रही है। **AIADA** को **Approach Road** के निर्माण हेतु अनेकों बार अनुरोध किया गया है। साथ ही स्थानीय नागरिकों/ग्रामिणों जिससे आयडा द्वारा भूमि क्रय किया गया वैसे ग्रामिणों के द्वारा कार्य करने में बाधाएँ/व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है।

<u>**Hazardous Waste Management Facilities(HWMF)**</u>- उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा सचिव उद्योग को बताया गया कि इस दिशा में **JINFRA** के अभिरूचि की कमी के कारण कार्य की प्रगति धीमी है।

<u>**Hi-Tech Lab & Centre for Business Excellance**</u>- विषय वस्तु पर उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि इस दिशा में कार्य काफी प्रगति पर है। **Lab Equipments** स्थापित किये जाने एवं भवन निर्माण संबंधी कार्य किया जा रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए सचिव उद्योग को आश्वस्त किया कि माह अगस्त–2013 तक कार्य पूरा हो जायेगा।

बैठक साधन्यवाद समाप्त हुई।

अगली बैठक दिनांक 01.07.2013 को 11.30 बजे पूर्वाह्न में सचिव उद्योग के कार्यालय कक्ष में आयोजित की जायेगी।

ह0/–
सरकार के सचिव
उद्योग विभाग

ज्ञापांक 1820 /रॉची, दिनांक 19/06/2013
9/उ0नि0/कलस्टर(बैठक)16/2009

प्रतिलिपिः सचिव उद्योग, उद्योग विभाग, झारखण्ड, रॉची/निदेशक, हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प, निदेशालय, झारखण्ड, रॉची/अपर उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, झारखण्ड, रॉची/प्रबन्ध निदेशक, झारक्राफ्ट, रातु रोड़, रॉची/महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, रॉची/मुख्य महाप्रबन्धक, नबार्ड के प्रतिनिधि/निदेशक, **MSME**, रियाडा भवन, नामकूम, रॉची/उप महाप्रबन्धक, सिडबी, रॉची/सहायक निदेशक(हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय, कार्यालय विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र, आत्माराम भवन, तृतीय तल्ल राधेश्याम गली, मेन रोड़, रॉची–834004/संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बैंक ऑफ इन्डिया, प्रधान टावर, द्वितीय तल, मेन रोड़, रॉची/महाप्रबन्धक, जिडको, रॉची/श्री एच0बी0बियानी, इंडियन रिफेक्ट्रीज मेकर्स एसोसियेशन, कोलकाता/श्री बजरंग जलान/अरूण गाद्यान, चिरकुण्डा रिफेक्ट्रीज कलस्टर, चिरकुण्डा, धनबाद/श्री बसन्त अग्रवाल, अध्यक्ष, झारखण्ड रिफेक्ट्री मेकर एशोसियेशन, चिरकुण्डा/श्री रणधीर शर्मा, मेसर्स के0एम0 इन्डस्ट्रीज, तुपुदाना इन्डस्ट्रीयल एरिया, रॉची एवं **JSIA** कलस्टर डेवलपमेंट/श्री सुनील पोतदार, सी0एम0डी0 सनेक प्रोसेसिंग इन्डिया लि0, प्लोटनं0–67–82 तुपुदाना इन्डस्ट्रीयल एरिया, रॉची/श्री डी0पी0 विद्यार्थी, उप उद्योग निदेशक/श्री निरंजन तिर्की, उप उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, रॉची/प्रबन्ध निदेशक, आदित्यपुर ऑटो कलस्टर विकास भवन, आदित्यपुर, सरायकेला–खरसॉवा/महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, हजारीबाग/प्राचार्य, मिनी टूल रूम टाटीसिलवे, रॉची/श्री जयप्रकाश साहू, अवर सचिव, उद्योग निदेशालय, रॉची/श्री

शरद कुमार पोद्दार, झारखण्ड स्मॉल इन्ड0 एसोसियेशन (JSIA), कोकर, रॉची/श्री लादू राम शर्मा, अध्यक्ष, फलाई एस ईट निर्माता संध, कोल्हान 103, जे0आर0एपार्टमेंट, मारवाडीपाड़ा रोड़, जुगसलाई, जमशेदपुर/भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान, अहमदाबाद, सी0–29 पसा कोठी, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, रॉची/श्री रवि शंकर प्रसाद, उद्योग विस्तार पदाधिकारी, रियाडा, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.06.13

अवर सचिव
उद्योग निदेशालय
झारखण्ड, रॉची